न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्रीमती कुन्तल विश्नोई
2. प्रकरण संख्या : 224/2020
3. उनवान : सरकार जरिये कुशाल बिलाला, प्रवर्तन अधिकारी, जयपुर ग्रामीण

बनाम

1. श्री मनोज मीणा पुत्र श्री रामजीलाल निवासी नीझर मोड ग्राम पंचायत भाबरु तहसील विराटनगर जिला जयपुर ड्राइवर गाडी संख्या आरजे 32–जीए–9979 थाना शाहपुरा जिला जयपुर।
2. श्री रामकरण मीणा पुत्र श्री रामदयाल मीणा निवासी भाबरु तहसील विराटनगर जिला जयपुर मालिक गाडी संख्या आरजे 32–जीए–9979 थाना शाहपुरा जिला जयपुर।

4. निर्णय दिनांक : 10/02/2025
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।
   ब) अधिवक्ता श्री मोहन चौधरी अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी, जयपुर ग्रामीण श्री कुशाल बिलाला द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पेश कर निवेदन किया है कि दिनांक 04.08.2018 को पुलिस थाना शाहपुरा, जिला जयपुर द्वारा शाहपुरा से भाबरु की ओर जा रहे वाहनों को रुकवाकर चैक किया जाने पर महिंद्रा मेक्स पिकअप संख्या आरजे32–जीए–9979 में ड्रमों में केरोसीन भरा मिला। जिसमें ड्राइवर श्री मनोज मीणा मिले। ड्राइवर द्वारा उक्त केरोसीन को कब्जे में रखे जाने के कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर वाहन को डिटेन कर थाने लाया गया। तदुपरान्त सूचना मिलने प्रार्थी द्वारा मय जांच दल के थाने पंहुच कर डिटेन वाहन की जांच की। वाहन में लोहे के 2 ड्रमों में 350 लीटर केरोसीन मिला। दो लोहे के ड्रम खाली मिले, एक पम्प मोटर जो केरोसीन भरने और खाली करने के काम आती है, मय प्लास्टिक पाइप भी मिले। दौराने जांच मनोज मीणा ने उक्त केरोसीन के संबंध में कोई वैध दस्तावेज, वाहन का रजिस्ट्रेशन व स्वयं का ड्राइविंग लाइसेंस प्रस्तुत नहीं किया। ऐसी स्थिति में नमूने के लेने के पश्चात शेष 347.50 लीटर केरोसीन मय लोहे के चार बडे ड्रम, एक पम्प मोटर मय पाइप और गाडी संख्या आरजे32–जीए–9979 को जब्त किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र, पर्चा मौका, पर्चा पूछताछ, फर्द जप्ती व एफ.आई.आर. की प्रति पेश कर निवेदन किया है कि जब्त वस्तुओं को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6–ए(2) के तहत राजसात करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 2 को नोटिस सम्यक रुप से तामील है। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री मोहन चौधरी ने उपस्थिति दी। दिनांक 06.08.2018 को अप्रार्थी संख्या 2 ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र पेश कर स्वयं को जब्त गाडी का मालिक बताते हुये सुपुर्दगीनामे/जमानतनामे पर गाडी को रिलीज करने का प्रार्थना पत्र पेश किया। जिसमें रुपये 3,50,000/– का जमानतनामा पेश करने पर दिनांक 11.10.2018 को माननीय न्यायालय द्वारा जब्त गाडी महिंद्रा मेक्स पिकअप संख्या आरजे32–जीए–9979 के मोचन आदेश(रिलीज आर्डर) जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 1 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये जो कि 1 माह से अधिक समय बाद भी प्राप्त नहीं हुये। अप्रार्थीगण अनुपस्थित। बारम्बार आवाज दिलाई गयी बावजूद अनुपस्थित। प्रार्थी पैरोकार सरकार द्वारा विभागीय

अतिरिक्त, जिला कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए जब्त माल को मय वाहन राजसात करने का निवेदन किया। तदुपरान्त पत्रावली दिनांक 10/02/2025 को आदेश हेतु रखी गई।

हम प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन व मनन कर इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि दिनांक 04.08.2018 को पुलिस थाना शाहपुरा, जिला जयपुर द्वारा शाहपुरा से भाबरु की ओर जा रहे वाहनों को रुकवाकर चैक किया जाने पर महिंद्रा मेक्स पिकअप संख्या आरजे32–जीए–9979 मय लोहे के चार बडे ड्रम, एक पम्प मोटर मय पाइप और गाडी संख्या आरजे32–जीए–9979 को जब्त किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त जब्त सामान के संबंध में कोई वैध क्रय विक्रय के दस्तावेज व अनुज्ञापत्र प्रस्तुत नहीं किये साथ ही उक्त सामग्री किससे खरीदी तथा किसको बेची जानी है की स्थिति भी संदिग्ध प्रतीत होती है। अप्रार्थीगण द्वारा जब्त वस्तुओं की वैधता के संबंध में मौके पर और आदिनांक तक कोई साक्ष्य सबूत उपलब्ध नहीं करवाये गये तथा कोई सन्तोषप्रद जवाब भी नहीं दिया गया। किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भी वाहन के अलावा अन्य जब्त सामग्री के संबंध में कोई क्लेम आज तक पेश नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा जब्तशुदा 347.50 लीटर केरोसीन मय लोहे के चार बडे ड्रम, एक पम्प मोटर मय पाईप और केरोसीन के अवैध परिवहन में काम ली जा रही गाडी संख्या आरजे32–जीए–9979 को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी, जयपुर द्वितीय को निर्देश दिये जाते हैं कि जब्त सामग्री को नियमानुसार अन्तिम निस्तारण किया जाकर राशि राजकोष में जमा कराकर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10/02/2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Court to the Addl. Collector & Addl. District Magistrate JAIPUR

(कुन्तल विश्नोई)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर।